REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2018

महिलाओं की उच्च शैक्षणिक समस्याओं के कारण और उन्हें दूर करने के उपाय

डा.स्वीटीबेन एम. मकवाणा

❊ सारांश :

एक समय ऐसा था कि समाज में शिक्षा का मूल्य था लेकिन आधुनिक युग में सामाजिक, आर्थिक और राजकीय सशक्तिकरण का महत्व का साधन है। शिक्षा प्राप्त की हुई व्यक्तियाँ उनकी मूलभूत आवश्यकता और आरोग्य सेवाओं की आवश्यकता संतोषने के लिए शक्तिमान बनती है। यानि की शिक्षा सभी भौतिक और सामाजिक आवश्यकताएँ संतोष के लिए शक्तिमान बनाता है। शिक्षा सामाजिक गतिशिलता का द्वार है। आजिवीका पूरी करने का साधन है। वह व्यक्ति के सर्वांगी विकास का साधन है। इसीलिए वर्तमान युग के कोई भी समाज की साक्षरता और खास करके महिला साक्षारता क प्रमाण पर से उस समाज की सभ्यता का स्तर तय किया जाता है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा पे भार दिया गया है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अलग-अलग पगले लिये गए। कन्या केलवणी पे भार दिया गया उपरांत कन्या केलवणी के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ अमल में की गई। यह सभी पगले और योजनाओं की वजह से महिला शिक्षा में धीमी लेकिन एकधारी प्रगति हुई लेकिन शिक्षा में एक या दूसरे स्वरुप में लिंगभेद और असमानता दूर नहीं हो सकी और उसमें ही महिलाओं की उच्च शैक्षणिक समस्याओं का मूल रहा है। महिलाओं की उच्च शैक्षणिक समस्याएँ नीचे दी गई है।

❊ महिलाओं की उच्च शक्षणिक समस्याओं के कारण :

(१) महिला शिक्षा के परंपरागत मूल्यों का सातत्य
(२) छोटी उंमर में शादी
(३) लडके का विशेष महत्व
(४) महिला-पुरुष के बीच की सामाजिक अलगता का ख्याल
(५) गरीबी
(६) बढती बस्ती
(७) ग्रामीण समाज का व्यावसायिक मालखा
(८) महिला शिक्षा की ओर समाज की उदासीनता
(९) महिला शिक्षा का आर्थिक-उत्पादक क्षेत्रो में कम उपयोग

❊ महिलाओं की शैक्षणिक समस्याओं की असर :

(१) महिलाओं के नीचे दरज्जे को टीका रखता है।
(२) राष्ट्रीय विकास में अवरोधक
(३) आर्थिक-सामाजिक विकास में अवरोधक
(४) परंपराओं का सातत्य टीका रहता है
(५) आधुनिक मूल्यों के विकास में अवरोधक
(६) बालउछेर के कार्य पर विपरीत असर
(७) आधुनिक मूल्यों के विकास में अवरोधक
(८) अन्य समस्याओं के उदभव में कारणभूत

※ महिलाओं की शैक्षणिक समस्याएँ दूर करने के उपाय :

(१) शिक्षा संस्थाओं में बढोतरी :

सर्वशिक्षा अभियान नयी स्कूले शुरु करने, स्कूल का मकान बांधना, ज्यादा के वर्गखंड बांधने को टेका दिया गया है। शिक्षको की भरती, तालीम, पाठ्यपुस्तको के लिये टेका दिया गया है। उपरांत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापने के लिये भी टेका दिया गया है। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा ऐसे टेको की वजह से प्राथमिक स्कूलों की और उसमें शिक्षको की बढोतरी हुइ है।

(२) महिला सामख्य योजना :

ग्रामीण विस्तारो में खास करके सामाजिक और आर्थिक तरह से सीमां समूहो में शिक्षा और सशक्तिकरण के लिये महिला सामख्य योजना अमल में रखी हुई है। इस योजना में महिला-पुरुष समानता सिद्ध करने के लिये महिलाओं में शिक्षा और सशक्तिकरण पर भार दिया गया है। ग्रामीण कक्षा में महिला मंडल या महिलाओं का जूथ महिलाओं को मिलने के लिए, सवाल पूछने के लिए और अपने विचार और आवश्यकताएँ पूरी करने की जगह देता है। महिला मंडल विभिन्न कार्यक्रम और जागृति अभियान द्वारा ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। जिसकी असर कुटुंब में, समुदाय में और पंचायत कक्षा पे देखने को मिलता है। इस योजना के कार्यक्रम में और बीच में से शिक्षा छोड देने का प्रमाण घटने लगा है। अभी यह योजना देश के १० राज्यो के १०२ में जिले के २१००० गाँवों में अमल जारी है।

(३) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :

२००९ में यह योजना अमल में रखी गई है। रहने की जगह के नजदीक के अंतर पर माध्यमिक शिक्षा पूरी करनी, माध्यमिक शिक्षा में महिला-पुरुष के सामाजिक-आर्थिक बंधन दूर करने तथा २०१७ तक माध्यमिक शिक्षा का सर्वात्रिकरण करना तथा २०२० तक माध्यमिक शिक्षा का सर्वात्रिकरण करना तथा २०२० तक सभी माध्यमिक स्कूलो में प्रवेश लिये गये विद्यार्थी शिक्षा का सातत्य जारी रखकर अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करे ऐसी स्थिति का निर्माण करना यह इस अभियान का ध्येय है।

(४) गर्ल्स होस्टेल की योजना :

आशरे ३५ हजार पछात ब्लोक्स में १०० सीट वाली गर्ल्स होस्टेल शुरु करने की योजना २००९-१० से अमल में आई है। इस योजना का मुख्य हेतु कन्याएँ उनका माध्यमिक शिक्षण चालु रखे ऐसा है। जिससे दूर की स्कूलो में अभ्यास करती कन्याएँ का बीच में से अभ्यास छोडा न जाय। इस योजना का लक्ष्यांक अनुसूचित जाति, आदिजाति, अन्य पछात वर्ग और लघुमती समुदाय तथा गरीबी रेखा नीचे जी रहे कुटुंबों की १४-१८ साल की वयजूथ की कन्याएँ है।

(५) प्रौढशिक्षा और साक्षर भारत :

साक्षरता सभी के लिये पाये की शिक्षा का हार्द है। गरीबी, बालमरण, बढती बस्ती की समस्या को दूर करने के लिये औ महिला-पुरुष समानता सिद्ध करने के लिये तथा टकाउ विकास, शांति और लोकशाही के लिये साक्षरता आवश्यक है। इस के लिये सार्वत्रिक साक्षरता भी इतनी ही जरुरी है। साक्षरता कार्यक्रम वांचन और लेखन क्षमताओं में बढोतरी करना उपरांत विकास के संसाधन प्राप्त करने के जीवन कौशल्यो भी प्रदान किये है।

१९८८ में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरु करने के साथ संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरु किया गया था। इस अभियान को अब दो दायके पूरे हो गये है। इस समय दरम्यान साक्षरता दर ४३.३७ से बढकर २००१ में ६४.८४ हुआ है। २००१ में पुरुष साक्षरता दर ७५ प्रतिशत से ज्यादा था। जबकि महिला साक्षरता दर ५४ प्रतिशत जीतना रहा था। प्रौढ महिलाओं में साक्षरता दर सिफ ४७.८२ था। इसीलिए अगले पाँच साल में हरेक महिला को साक्षर बनाने की नीति अपनाने में आई।

भारत सरकार की नीति महिलाओं की सशक्तिकरण की रही है। सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये साक्षरता एक पूर्व आवश्यकता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने 'साक्षर भारत' का ध्येय अपनाया है और उसमें महिला साक्षरता के उपर विशेष भार दिया गया है। 'साक्षर भारत' अभियान में मूलभूत साक्षरता, अनुसाक्षरता और सतत शिक्षा के कार्यक्रम अविरत और सातत्यपूर्ण तरीके से चलते रहे वह स्वरुपों का यह अभियान है। २०११ में महिला साक्षरता दर ७० प्रतिशत से ज्यादा हुआ है।

११वीं पंचवर्षीय योजना दरमियान के प्रथम तबके में साक्षर भारत कार्यक्रम २०११ की बस्ती गीनती अनुसार प्रौढ स्त्री साक्षरता दर ५० प्रतिशत से कम हो ऐसे जिले तक सीमित है। देश के २५ राज्य और एक केन्द्र शासित प्रदेश मिलकर ३६५ जिले में प्रौढ महिला साक्षरता दर ५० प्रतिशत से कम है। अगियारमी पंचवर्षीय योजना में प्रौढशिा के लिये ६ हजार करोड रुपिये दिये गये है। उसमें से ५००० करोड से ज्यादा रकम साक्षर भारत कार्यक्रम में दिये गये है। प्रौढशिक्षा और साक्षर भारत कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग मिला है। स्वैच्छिक संस्थाओने प्रौढशिक्षा और साक्षर भारत कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देने के लिये आर्थिक सहाय भी दी है। सार्वत्रिक स्त्री साक्षरता के लिये विभिन्न व्यूह अपनाये है।

स्त्री साक्षरता और स्त्री सशक्तिकरण के बीच सहसंबंध रहा है। ऐसे सहसंबंध को वैश्विक तौर पर स्वीकृति मीली है। स्त्री शिक्षा बढने के साथ प्रजननदर, बस्ती बढोतरी दर, बालमृत्यु दर नीचे आता है और कौटुंबिक आरोग्य में सुधार होता है। साक्षर स्त्रीयाँ राजकीय तौर पर ज्यादा सक्रिय है और उनके

कानूनी अधिकारो से ज्यादा माहितगार होता है। सरकार की धारणा ऐसी है कि स्त्रीमुक्ति और स्त्री सशक्तिकरण के लिये साक्षरता अभियान चावीरुप साधन रह सकता है।

(६) श्रमिक विद्यापीठ :

शहरी कामदार और उनकी महिलाओ को साक्षर बनाने के लिये श्रमिक विद्यापीठो की स्थापना कि गई है। भारत के अलग अलग राज्यो में ३० जितनी ऐसी विद्यापीठ है। इस संस्था द्वारा कामदार और उनके कुटुंबोको मफत औपचारिक शिक्षा दी गई है। औद्योगिक शहरो में ऐसी विद्यापीठ की स्थापना की गई है।

(७) मुफ्त कन्याकेलवणी :

स्त्री शिक्षा को आगे बढाने के लिये भारत के राज्यो में मुफ्त कन्याकेलवणी का अभिगम अपनाने में आया है। इस कदम ने माध्यमिक और उच्च केलवणी में शिक्षा लेती कन्याओं का प्रमाण बढाने में महत्व का भाग दिया है।

(८) शिष्यवृत्ति :

स्त्रीशिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न तबके शिष्यवृत्तियाँ और शैक्षणिक साधनो की सवलतें दी है। इसीलिए निम्न मध्यवग के मा-बाप के उपर अपनी लड़की को पढ़ाने के लिये आर्थिक बोझ नहीं पडने की वजह से वह अपनी लड़की को पढ़ाने की ओर आगे बढते है।

(९) महिला शिक्षा के संक्षिप्त अभ्यासक्रम :

महिलाओं की शिक्षा के संक्षिप्त अभ्यासक्रमो की योजना का ध्येय महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक होने का है। यह अभ्यासक्रम महिलाओं को शिक्षा और सबंधित कौशल्य पूरी करता है। यह योजना खास करके बीच में ही स्कूल छोड दी हो और नापास हुई हो ऐसी महिलाओं को स्कूल शिक्षा पूरा करने के लिये है। इस योजना के अंतर्गत १५ साल और उससे ज्यादा उंमर की महिलाओं को इसमें गीना जाता है। ऐसे अभ्यासक्रम चलाने के लिये शैक्षणिक कार्यक्रमों में अनुभवी ऐसे गीने हुए सामाजिक संगठनो और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को सहाय देते है।

(१०) टेकारुप सेवा के तौर पर काम करती महिलाओं की होस्टेल :

टेकारुप सेवा के तौर पर काम करती महिलाओं की होस्टेल की योजना अमल में की गई। उसमें काम करती महिलाओं के बच्चो की देखभाल रखने की सुविधा दी जाती है। यह योजना काम करती महिलाओं की सलामती और आर्थिक तरीके से रहठाण की सुविधा की जोगवाइ की है। काम करती महिलाओं में सींगल वर्किंग, काम का जगह घर से बहोत दूर हो ऐसी महिलायें, काम करती लेकिन पति नगर बाहर रहता हो, विधवा मिहलाएँ, तलाक ली हूई, त्यक्ता और अलग निवास करती महिला रोजगारी के लिये तालीम लेती हई महिलायें, व्यावसायिक शिक्षा लेती हुई गर्ल्स स्टुडन्स का समावेश होता है। तालीम लेती महिलाओं को एक साल तक और गर्ल्स स्टुडन्टस को पाँच साल तक होस्टेल में रहने की सुविधा दी है लेकिन इस योजना में काम करती महिलाओं को पहली पसंदगी दी गई है।

❊ संदर्भ सूचि :

(१) जे.के.दवे, महिलाएँ और समाज, २०१३-१४
(२) जे.के.दवे, महिलाओं की समस्याएँ, २०१३-१४
(३) डॉ.नीरा देसाई, भारतीय समाज में महिलाजीवन, १९६७

डॉ.स्वीटीबेन एम. मकवाणा